बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-801/आ.नि. .... दिनांक-18 मई'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,

बिहार, पटना।

सेवा में,

(1) जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी,

मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय एवं शेखपुरा (मुंगेर प्रमण्डल)।

(2) सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा -सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,

मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय एवं शेखपुरा (मुंगेर प्रमण्डल)।

विषय :- **कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (Zoom App) के माध्यम से राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दि0-21.05.2020 (गुरूवार) को प्रमण्डलवार ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :- **(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016**

(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च,2020 को जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश।

(3) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का पत्र सं0-16-3/सी0सी0डी0/2018 दि0-31.03.2020

(4) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक-762/आ0नि0को0 दि0-21.04.2020 एवं 792/आ0नि0को0 दिनांक-13.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ प्रदान करते हुए आपका ध्यान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 (**COVID-19**) के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च 2020 को जारी किए गए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों एवं इसी संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को प्रेषित पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। विदित हो कि भारत सरकार ने कोविड19 (**COVID-19**) से उत्पन्न स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

कृ0पृ0उ0.............

उपर्युक्त संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में पत्रांक-744 दिनांक-24.03.2020 तथा पत्रांक-748 दिनांक-07.04.2020 भी प्रेषित करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस अवधि के दौरान लगातार विविध स्तरों/विषयों/विषय विशेषज्ञों/प्रशासनिक स्तरों पर वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में विशिष्ट मामलों को हल किए जाने का प्रयास किया गया है। बिहार के विभिन्न हिस्सों से हेल्पलाइन नं0-8448-385590, ई-मेल, फोन, मोबाइल मैसेज एवं व्हास्टऐप इत्यादि के माध्यम से सैंकड़ों की संख्या में राशन, पेंशन, पुनर्वास एवं अन्य से सम्बन्धित दिव्यांगजनों की प्राप्त शिकायतों की निष्पादन हेतु दिनांक-25.04.2020, समय पूर्वा0 11:00 बजे से अप0 02:00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाईन लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजनों की चार सौ (400) से अधिक शिकायतों का निष्पादन करते हुए सम्बन्धित सक्षम क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं।

संपादित विविध वीडियों कॉफ्रेंसिंग, दूरभाष माध्यम से कार्यालय के टेलीफोन व अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल व कार्यालय के हेल्पलाइन नम्बर पर वर्तमान में भी प्राप्त हो रही विविध शिकायतों पर सम्यक विचारोंपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोविड19 (**COVID-19**) की वजह से वर्तमान में जारी लॉकडाउन अवधि के दौरान दिव्यांगजनों से सम्बद्ध विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित शिकायतों के सम्यक निष्पादन हेतु वीडियों कॉफ्रेंसिंग माध्यम से प्रमण्डलवार ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त शिकायतों की प्रमण्डलवार संख्या के आधार पर मुंगेर प्रमण्डल के सम्बन्ध में ऑनलाईन लोक अदालत दिनांक-21.05.2020, समय पूर्वा0 11:00 बजे से अप0 02:00 बजे तक निर्धारित की गई है, जिसके लिए अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही मुंगेर प्रमण्डल के सम्बन्ध में आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत के विषय पर राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा मुंगेर प्रमण्डल के सभी प्रेस मीडिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (**Zoom App**) के माध्यम से दिनांक-19.05.2020 (मंगलवार) को अप0 3:00 बजे से 4:00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (**Zoom App**) के माध्यम से प्रेस वार्ता करेंगे, जो भी मुंगेर प्रमण्डल के प्रेस मीडिया वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (**Zoom App**) के माध्यम से जुड़ने हेतु इच्छुक होंगे, उन्हें राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा **User ID** एवं **Password** उपलब्ध कराया जायेगा। इससे सम्बन्धित सम्पर्क मोबाईल नम्बर-9431015499 है।

अनुरोध है कि कोविड19 (**COVID-19**) के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राज्य आयुक्त नि:शक्तता से वार्ता हेतु मुंगेर प्रमण्डल के सभी प्रेस मीडिया को दिनांक-19.05.2020 (मंगलवार) को अप0 3:00 बजे से 4:00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (**Zoom App**) के माध्यम से जुड़ने के लिए अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
18/05/20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-801/आ0 नि0 श0 दिनांक-18 मई 2020

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी-सह-जिला अपर आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन), मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय एवं शेखपुरा (मुंगेर प्रमण्डल)। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/05/20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।